

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

डा० नवीन कुमार,
चिकित्सा पदाधिकारी,
लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना-04

पटना, दिनांक

विषय दिनांक 16.01.2025 से 20.01.2025 तक निजी खर्च पर विदेश (श्रीलंका) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना-04 के पत्रांक 1186 दिनांक 04.12.2024 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 16.01.2025 से 20.01.2025 तक निजी खर्च पर विदेश (श्रीलंका) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) डा० नवीन कुमार मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को (श्रीलंका) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगी ।
- 7) एतदसंबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामाजित होगा ।
- 8) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगी ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक :

18(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 09/01/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

W. K. S. S. S.
सरकार के अवर सचिव